

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला- होशंगाबाद (म.प्र.)

(फोन- 07574-253855, E-mail- dcourthos-mp@nic.in)

परिपत्र

क्रमांक 821 / दो-1-8 / 19

होशंगाबाद दिनांक 25.07.2020

प्रति,

- (1) समस्त न्यायालयों के पीटासीन अधिकारीगण, जिला होशंगाबाद
- (2) प्रस्तुतकार, जिला न्यायाधीश होशंगाबाद (म.प्र.)
- (3) अध्यक्ष/सचिव, अभिभाषक संघ,
होशंगाबाद/ इटारसी/ पिपरिया/ रोहागपुर/ सिवनीमालवा,
जिला होशंगाबाद (म.प्र.)
- (4) लोक अभियोजक होशंगाबाद (म.प्र.)
- (5) जिला अभियोजन अधिकारी होशंगाबाद, (म.प्र.)

--00--

माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक बी/2655 जबलपुर दिनांक 24.07.2020 के अनुसार कोविड-19 के संक्रमण को रोकने हेतु पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक डी/2377 जबलपुर दिनांक 27.06.2020 एवं क्यू-12 जबलपुर दिनांक 04.05.2020 एवं इससे संबंधित अन्य परिपत्र एवं दिशानिर्देश की प्रभावशीलता दिनांक 27.07.2020 से दिनांक 31.07.2020 तक की अवधि के लिये बढ़ायी गयी है। दिनांक 27.07.2020 से 31.07.2020 तक की अवधि में मध्यप्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में सामान्य कार्य न होकर सीमित कार्य संपादित किया जाएगा, जिसमें ऐसे प्रकरण जो निराकरण की अंतिम अवस्था में हैं, जो अंतिम सुनवाई के लिए नियत हैं, जमानत आवेदन, रिमाण्ड प्रकरण, आपराधिक पुनरीक्षण, सिविल अपील आदि जिनका निराकरण दोनों पक्षों के अधिवक्तागण के तर्क सुनने के आधार पर बिना मौखिक साक्ष्य अभिलिखित किये किया जा सकता हो की ही सुनवाई की जावेगी। यह सुनवाई केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही की जावेगी। कार्य की आवश्यकता को देखते हुए जिला स्थापना होशंगाबाद एवं तहसील न्यायालयों में अभिभाषक कक्ष (बार रूम) को कोविड-19 के अंतर्गत शासन एवं मान. उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए मास्क, सैनेटाईजर का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य आवश्यक सुरक्षा उपायों का पालन सुनिश्चित करते हुए खोले जावेंगे।

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त परिपत्र के परिपालन हेतु इस कार्यालय द्वारा परिपत्र क्रमांक 819/दो-1-8/19 होशंगाबाद दिनांक 25.07.2020 जारी किया गया है, जिसमें पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक 792/दो-1-8/19 होशंगाबाद दिनांक 19.07.2020 की प्रभावशीलता को बढ़ाते हुए दिनांक 27.07.2020 से 31.07.2020 तक केवल अत्यावश्यक न्यायालयीन कार्य हेतु निर्देश दिये गये हैं, उक्त तिथि के मध्य जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय/अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/ मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/समस्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं 2 के न्यायालयों में उपरोक्त प्रकरणों को छोड़कर शेष सुनवाई हेतु नियत सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों में आगामी तिथियां निम्न सारणी अनुसार नियत की जाती हैं:-

पेशी दिनांक

27.07.2020

28.07.2020

29.07.2020

30.07.2020

31.07.2020

आगामी पेशी दिनांक

07.09.2020

08.09.2020

09.09.2020

10.09.2020

11.09.2020

समस्त अभिभाषकगण और पक्षकारगण को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 31.07.2020 तक केवल अत्यावश्यक कार्य होने पर ही न्यायालय परिसर एवं बार रूम में आयें एवं यथासम्भव अपने निवासीय कार्यालय से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई में भाग लें तथा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में अपेक्षित सहयोग प्रदान करें।

(चन्द्रेश कुमार खरे)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
होशंगाबाद (म.प्र.)

पृष्ठा.क्र.- 822/दो-1-8/19

होशंगाबाद दिनांक 25.07.2020

प्रतिलिपि:- सिस्टम ऑफीसर होशंगाबाद की ओर भेजकर निर्देश है कि समस्त संबंधितों को ई-मेल/व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित करें एवं परिपत्र की प्रति होशंगाबाद जिले की वेबसाईट पर अपलोड करें।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
होशंगाबाद (म.प्र.)